Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 05.01.2023

क्रमांक :शिविरा–माध्य / मा–स / ELC/2021-22 / 193

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा।

विषय :– प्रत्येक विद्यालय में 17+ एवं 18 / 18+ वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के मतदाता पंजीकरण प्रमाण पत्र बाबत् ।

प्रसंग :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, निर्वाचन विभाग, जयपुर का क्रमांक : प. 4(3)(3)स्वीप / निर्वा / ELC/2018/10624 जयपुर दिनांक : 22.12.2022 (प्रति संलग्न) एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 07.11.2022 एवं 14.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्होंने 17+ एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है का शत–प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन विद्यालयों में गठित ईएलसी के माध्यम से करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक : 14.12.2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि – "उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम को गम्भीरता से लेते हुए एवं ELC कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी होने के नाते आप अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्होंने 17+ एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, जिनका शत–प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन दिनांक : 18.12.2022 से पूर्व Voter Helpline App (VHA) Voter Portal/NVSP Portal के माध्यम से किया जाने हेतु अपने क्षेत्राधिकार में समस्त संस्थाप्रधानों को इस बाबत् निर्देशित कर पालना सुनिश्चित करावें एवं निम्नांकित (तत्समय जारी पत्र के संलग्न) प्रारूप में प्रमाण पत्र चुनाव आयोग के ई–मेल ceojpr-rj@nic.in एवं इस कार्यालय के ई–मेल secondarydd35@gmail.com पर प्रेषित करावें।" तथा दिनांक : 19.12.2022 को आयोज्य उल्लिखित वी.सी. में प्रमाण पत्र सहित भाग लिया जाना सुनिश्चित करने हेतु भी पाबन्द किया गया था।

अतः प्रासंगिक पत्र के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप इस इस सम्बन्ध में अपने जिले के प्रत्येक विद्यालय की ELC के माध्यम से वहां अध्ययनरत 17+ एवं 18 / 18+ विद्यार्थियों का मतदाता पंजीकरण करवा लिया है, प्राप्त कर उक्त प्रमाण पत्र तत्काल राज्य निर्वाचन विभाग के ई–मेल ceojpr-rj@nic.in एवं इस कार्यालय के ई–मेल secondarydd35@gmail.com पर प्रेषित करावें।"

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संलग्न – यथोक्त।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, निर्वाचन विभाग, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत् ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने कार्यालय के किसी अधिकारी को उक्त कार्य हेतु प्रभारी नियुक्त कर संभाग में प्रगति हेतु दिन ब दिन रिपोर्ट लेकर प्रबोधन की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

उप निदेशक (माध्यमिक)

प. शिक्षा/निजी/Genl./4757
दिनांक 23 DEC 2022

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/ELC/2018/10624 जयपुर, दिनांक 22-12-2022

GAD
22/12/22

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– प्रत्येक विद्यालय में 17+ एवं 18/18+ वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के मतदाता पंजीकरण प्रमाण पत्र बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान SSR 2023 के अंतर्गत समस्त 17+ एवं 18/18+ आयु वर्ग के मतदाताओं के मतदाता पंजीयन हेतु निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) स्कूल/कॉलेज प्रभारी को जिले में पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र देने हेतु दिनांक 15.12.2022 को वीसी के माध्यम से निर्देशित किया गया था। अतः आपसे अनुरोध है कि जिले स्तर पर ELC प्रभारी (स्कूल) द्वारा संलग्न प्रारुप के अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र कि उन्होनें अपने जिले के प्रत्येक विद्यालय की ELC के माध्यम से वहाँ अध्ययनरत 17+ एवं 18/18+ विद्यार्थियों का मतदाता पंजीकरण करवा लिया है, प्राप्त कर उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 25.12.2022 तक कार्यालय की मेल आईडी ceorpr-rj@nic.in पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

क्रमांकः प.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/ELC/2018/10625 जयपुर, दिनांक 22.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा ... राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि ईएलसी प्रभारी ... को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करावें।
4. समस्त ईएलसी नोडल अधिकारी।

प्रभारी अधिकारी
(स्वीप शाखा)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा–माध्य/मा–स/ELC/2021-22/184 दिनांक : 14.12.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा।

विषय :– Voter Helpline App (VHA) Voter Portal/NVSP Portal पर ऑनलाइन मतदाता पंजीयन करवाने एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम– 2023 दिनांक : 19.12.2022 को वीसी के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, निर्वाचन विभाग, जयपुर का क्रमांक : एफ. 4(3)(3)स्वीप/निर्वा/SSR-2023/10474 जयपुर दिनांक : 13.12.2022 (प्रति संलग्न) एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 07.11.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक : 09.11.2022 से 20.12.2022 तक की अवधि में सम्पन्न हो रहे मतदाता सूचियों के राज्य व्यापी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम– 2023 के अन्तर्गत राज्य की मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के साथ ही उनके शुद्धीकरण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। इस बाबत् दिनांक : 19.12.2022 को 2.00 बजे से 4.00 बजे तक जिला स्तर पर आयोजित वी.सी. में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यक्रम में इस कार्यालय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र दिनांक : 07.11.2022 द्वारा प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्होंने 17+ एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है का शत–प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन विद्यालयों में गठित ईएलसी के माध्यम से करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। ऐसे मतदाताओं का डाटा शाला दर्पण के माध्यम से स्कूल लॉगिन पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम को गम्भीरता से लेते हुए एवं ELC कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी होने के नाते आप अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्होंने 17+ एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, जिनका शत–प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन दिनांक : 18.12.2022 से पूर्व Voter Helpline App (VHA) Voter Portal/NVSP Portal के माध्यम से किया जाने हेतु अपने क्षेत्राधिकार में समस्त संस्थाप्रधानों को इस बाबत् निर्देशित कर पालना सुनिश्चित करावें एवं निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र चुनाव आयोग के ई–मेल ceojpr-rj@nic.in एवं इस कार्यालय के ई–मेल secondarydd35@gmail.com पर प्रेषित करावें।

दिनांक : 19.12.2022 को आयोज्य उल्लिखित वी.सी. में प्रमाण पत्र सहित भाग लिया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में एवं जानकारी हेतु प्रधानाचार्य एवं स्वीप प्रभारी राजस्थान श्रीमती शिखा सोनी, दूरभाष नं0 9214340035 से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

<u>प्रमाण – पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्होंने 17+ एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है का Voter Helpline App (VHA) Voter Portal/NVSP Portal के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन करवाया जा चुका है तथा कोई भी विद्यार्थी पंजीयन से शेष नहीं है।

ह0 मय पदनाम

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न – यथोक्त।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, निर्वाचन विभाग, जयपुर

2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत्।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने कार्यालय के किसी अधिकारी को उक्त कार्य हेतु प्रभारी नियुक्त कर संभाग में प्रगति हेतु दिन ब दिन रिपोर्ट लेकर प्रबोधन की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते